

आदेश पत्रक

केश सं० -
केश का प्रकार -

सत्र- 358/1317
हल्का सं० 5 पटना सदर

आदेश की तारीख	आदेश और पदधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में
	<p>आवेदक / आवेदिका <u>श्रीमती मधुश्री देवी</u></p> <p>पिता / पति <u>श्री श्री लक्ष्मण राम सिंह</u></p> <p>सा० <u>सुप्रीम 915</u></p> <p>जिला <u>जयनगर 915</u> के वाला <u>358</u> दिनांक <u>6/1/1984</u> के आधार पर निम्नांकित भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया है।</p> <p align="center"><u>जमीन का विवरण:-</u></p> <p>महल्ला <u>महरम - 26</u> वार्ड नं० <u>242</u> शीट नं० <u>-</u> सर्किल नं० <u>-</u> हो० नं० <u>-</u> म्य० प्लॉट नं० <u>416</u> रकबा <u>1.00 3/4</u></p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन देने हेतु दें। अभिलेख दिनांक <u>20/03/84</u> को रखे।</p> <p><u>MS</u> अंचलाधिकारी पटना सदर</p> <p>अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। पक्ष आग महाल रैयत को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>16/1/11</u> को सुनवाई हेतु रखें।</p> <p><u>MS</u> अंचलाधिकारी पटना सदर</p> <p>अभिलेख उपस्थापित, महाल पर नोटिस तामिला प्राप्त है। सुनवाई के समय कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि का जमावन्दी कायम नहीं हैं। दिनांक 01.01.1956 से <u>15</u> प्रति कठ्ठा अलावे शेष की दर से लगान वसूली हेतु अनुशांसा किया है। अतः इनके अनुशांसा के आधार पर उपरोक्त भूमि का लगान दिनांक 01-01-1956 से <u>15</u> प्रति कठ्ठा अलावे शेष दर से राजस्व लगान वसूल करने की <u>सुझाव</u> दी जाती है।</p> <p>शुद्धि पत्र निर्गत करें। लेखापति एवं संशोधित।</p> <p><u>MS</u> अंचलाधिकारी पटना सदर</p>	

प्रमाणित प्रतिलिपि निकालें
विस्तृत रूप से लिखें 17/1/13